

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462003

- आदेश -


भोपाल, दिनांक 01/06/2006

क्रमांक एफ-1-12/2005/बीस-1, राज्य शासन के विभागीय समसख्यक आदेश दिनांक 04.08.2005 के द्वारा निश्चित वेतन में नियुक्त उप शिक्षक/सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों के अनुक्रम में नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान प्रदान करने की स्वीकृति मान. सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरण एल.पी.ए. क्र. 135/2004 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री पंकज सक्सेना में मान. म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध विचाराधीन विशेष अनुमति याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अध्याधीन प्रदान की गई थी। उल्लेखनीय है कि उक्त विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सी.सी.क्र. 5346/2005 म.प्र. शासन विरुद्ध श्री पंकज सक्सेना एक समान विषय के अन्य 5 प्रकरणों में मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.01.2006 के द्वारा मान. उच्च न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन पर स्थगन प्रदान किया गया है। अतः इस विषय के प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे :-

1. राज्य शासन के उक्त आदेश दिनांक 04.08.2005 के अनुक्रम में जिन उप शिक्षक/सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान दे दिया गया है, में एकराल की क्र. सी.सी. 5346/2005 एवं अन्य 5 प्रकरणों के निराकरण तक यथा स्थिति बनाए रखी जाए। इन प्रकरणों में भी अंतिम रूप से उक्त विशेष अनुमति याचिकाओं में पारित आदेश लागू होगा।
2. इस विषय के जिन प्रकरणों में अवमानना याचिका दायर हो चुकी है उनमें विभागीय प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करते हुए तत्काल मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन से मान. न्यायालय को अवगत कराया जा कर अवमानना प्रकरण निरस्त करने का अनुरोध किया जाए।
3. इस विषय के जो प्रकरण निर्णय हेतु मान. उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं उनमें मान. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये स्थगन के प्रकाश में विभागीय प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किया जाये एवं मान. उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए विचाराधीन याचिकाएँ निरस्त करने का अनुरोध किया जाए। यदि प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हो चुका हो तो अतिरिक्त प्रत्यावर्तन भी प्रस्तुत किया जाए।
4. इस विषय के जिन प्रकरणों में मान. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है और विचार कर निर्णय लेने हेतु विभाग को निर्देशित किया गया है, उनमें प्राप्त स्थगन के अनुक्रम में प्रकरणों का निराकरण किया जाए।
5. जिन प्रकरणों में मान. न्यायालय द्वारा लाभ देने के सीधे निर्देश दिये गये हैं उन सभी प्रकरणों में शासन के आदेश दिनांक 04.08.2005 एवं शासन की विशेष अनुमति याचिकाओं में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के प्रकाश में प्रकरण दर प्रकरण विभाग की ओर से मान. न्यायालय में याचिका/रिव्यू याचिका दायर करने की कार्यवाही की जाए।

6. यदि कार्यालयों में इस विषय के अभ्यावेदन विचाराधीन हो तो उनका भी मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन के अनुक्रम में निराकरण किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(पुष्पलता सिंह)
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल, दिनांक 09/06/2006

पृ.क्रमांक एफ 1-12/2005/बीस-1

प्रतिलिपि :-

1. सचिव मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल।
2. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर यू.ओ. क्र. 224/प्र.क./04 दिनांक 09.03.2005 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की ओर टी.प. क्र. 2030, दिनांक 01.04.2006 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
7. निज सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
9. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

